

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 108/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/120) श्री चन्द्रप्रकाश धारीवाल व अन्य बनाम श्रीमती मोहनी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2023	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <p>1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार</p> <p>अनवान</p> <p>1. श्री चन्द्रप्रकाश पिता श्री कृष्णवल्लभ धारीवाल, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़। 2. श्री घनश्याम पिता श्री कृष्णवल्लभ धारीवाल, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़। 3. श्री केशव पिता श्री कृष्णवल्लभ धारीवाल, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।</p> <p>अपीलार्थी</p> <p>1. श्रीमती मोहनी पत्नि श्री रतनलाल जाट, निवासी लसडावन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ 2. सरकार राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़</p> <p>प्रत्यर्थी</p> <p>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 91/2019 निर्णय दिनांक 20.05.2019 (अनवान श्री मोहनी बनाम चन्द्रप्रकाश वगैरह)</p> <p>निर्णय</p> <p>दिनांक 13.04.2023</p> <p>उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 91/2019 निर्णय दिनांक 20.05.2019 (अनवान श्री मोहनी बनाम चन्द्रप्रकाश वगैरह) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष दिनांक 20.05.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवेदन कर उनके खातेदारी व कब्जे काशत की मौजा नाहरगढ़ प.म. नाहरगढ़ में स्थित कृषि आराजीयात संख्या 1111, 1109 रकबा 0.80 हैक्टेयर के कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से पडौसी विपक्षीगण (वर्तमान अपील के अपीलार्थी) के साथ सीमा विवाद की स्थिति रहती है। अतः उनके खातेदारी भूमि की मौके पर नपती कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए विवादित भूमि के पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 20.05.2019 को पारित किया। <p>उक्त निर्णय दिनांक 20.05.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 19.11.2020 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।</p> <p>दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजूद सूचना अनुपस्थित।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2019 को एक ही दिवस में दर्ज कर उसी दिनांक को निस्तारित कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में</p>	

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 108/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/120) श्री चन्द्रप्रकाश धारीवाल व अन्य बनाम श्रीमती मोहनी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनको कोई नोटिस/सम्मन जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। बिना सम्यक तामिल के उक्त आदेश पारित करा दिया जो निरस्तनीय है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर प्रकरण पुनः सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य एवं सबूत को लेकर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर प्रकरण गुणावगुण निस्तारित करने का अनुरोध किया।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।</p> <p>आलोच्य अपील मयाद से बाधित पेश की गई है तथा अपील में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष को सुना। अपील विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम में कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत पेश प्रार्थना पत्र में जिन कथनों का समावेश किया है, वह संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। तदनुसार अंकित किए गए कथन स्वीकार किए जाने योग्य पाते हैं। सारांशतः अपीलार्थीगण द्वारा पेश मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अंदर मयाद शुमार किया जाता है।</p> <p>पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष वर्तमान अपील के अपीलार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 20.05.2019 को आवेदन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्य पक्षकारों को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया, जो राजस्व कोर्ट मेन्युअल, राजस्व नियमावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश जारी किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, यह इस प्रकरण में नहीं किया गया जो समर्थन योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हुए प्रार्थना पत्र धारा-128 एलआर एक्ट को एडमिशन स्तर पर स्वीकार करते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है।</p> <p>अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2019 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही कर नये सिरे से एक माह में निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	